न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 125 / 2025 दायर दिनांक 18.08.2025 रजि0 न0 2025 / 322

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री हरद्वारी लाल, नि. ई—30 भू—तल, प्रीत विहार, दिल्ली—110092	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 13.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 17.05.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0 / प्रथम अपील 2025 / 2027 दिनांक 08.10.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों—प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में संदर्भित सूचना आवेदन दिनांक 17.05.2025 के परिपेक्ष्य में पूर्व में ही माननीय न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें अपील प्रकरण सं. 12 / 112 / 2025 अंतर्गत दिनांक 25.08.2025 को निर्णय पारित कर अपील खारिज की जा चुकी है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील भी प्रस्तुत की गई है जिसमें द्वितीय अपील प्रकरण सं. RIC/ALWAR/A/2025/012281 अन्तर्गत सुनवाई की तिथी 09.10.2025 नियत है। अतः प्रकरण माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः अपील इसी स्तर पर ड्रॉप फरमावें।

तथापि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 17.05.2025 के परिपेक्ष्य में न्यायालय द्वारा अपील सं. 12 / 112 / 2025 अर्न्तगत दिनांक 25.08.2025 को निर्णय पारित कर अपील खारिज की जा चुकी है जिसकी अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील RIC/ALWAR/A/2025/012281 अन्तर्गत सुनवाई की तिथी 09.10.2025 नियत है। अतः उक्त अपील में इस न्यायालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने पर उक्त अपील पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।

7. आज दिनांक 13.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)